आदिवासी महिलाओं का भूमि के साथ संबंध और उसके अधिकार पर किया गया मंथन

□ जेंडर, स्वदेशी व भूमि अधिकारों पर एक्सआइएसएस में हुई चर्चा

लाइफ रिपोर्टर @ रांची

जेवियर समाज सेवा संस्थान (एक्सआइएसएस) रांची और इंडियन एसोसिएशन फॉर वीमेन स्टडीज ने महिला अध्ययन केंद्र इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट रांची विश्वविद्यालय के सहयोग से गुरुवार को संस्थान के सभागार में पैनल चर्चा का आयोजन किया. इसका विषय था झारखंड में जेंडर, स्वदेशी और भूमि अधिकारों की वस्तुस्थिति. इस कार्यक्रम में आदिवासी महिलाओं के भूमि के साथ संबंध और उसके अधिकार पर चर्चा की गयी. आदिवासियों के विस्थापन, प्रवास और गरीबी जैसे मुद्दों पर पैनलिस्टों ने सत्र के दौरान जोर दिया. पैनल चर्चा के पहले सत्र में डॉ वंदना टेटे, डॉ शलिनी साबू, रोशन होरो, डॉ सुनीता पूर्ति, डॉ रामचंद्र उरांव बौर बिटिया मुर्मू शामिल हुई. वहीं दूसरे सत्र में प्रोफेसर रमेश शरण, डॉ मीनाक्षी मुंडा, एलिना होरो, नयन कुमार सोरेन और आलोक कुजूर शामिल हुए.

पैनल चर्चा के दौरान कई बातें आयी सामने

पैनल चर्चा में डॉ शलिनी साबू ने आदिवासी प्रथागत कानून के भीतर भूमि के उत्तराधिकार की बहस पर कानूनी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया. वहीं डॉ वंदना टेटे ने आदिवासी विश्व दृष्टिकोण के भीतर भूमि को एक पहचान और सामूहिक संपत्ति के रूप में देखने का दृष्टिकोण सामने रखा. वहीं डॉ पूर्ति ने यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि कैसे वैश्वीकृत नवउदारवादी युग में आदिवासी महिलाओं द्वारा भूमि को एक पूंजी के रूप में देखा गया, जो उन्हें अपने भविष्य को बेहतर ढंग से संभालने में मदद कर सकती हैं. मौके पर आइएसडब्ल्यूएस की प्रभारी प्रो रंजना श्रीवास्तव, रांची विवि अर्थशास्त्र विभाग के महिला अध्ययन केंद्र के प्रभारी डॉ ज्योति प्रकाश, एक्सआइएसएस के रूरल मैनेजमेंट कार्यक्रम के सहायक प्रोफेसर डॉ प्रमिल के पांडा सहित अन्य मौजूद थे.

PRESS : PRABHAT KHABAR

जेवियर समाज सेवा संस्थान में गुरुवार को पैनल चर्चा कार्यक्रम में मौजूद अतिथि।

झारखंड में भूमि अधिकारों पर विमर्श

रांची। जेवियर समाज सेवा संस्थान में इंडियन एसोसिएशन फॉर विमेन स्टडीज और रांची विवि के अर्थशास्त्र विभाग के महिला अध्ययन केंद्र के सहयोग से गुरुवार को पैनल चर्चा का आयोजन हुआ। झारखंड में जेंडर, स्वदेशी और भूमि अधिकारों की वस्तुस्थिति विषय पर चर्चा में। डॉ वंदना टेटे, डॉ शालिनी साबू, रोशन होरो, डॉ सुनीता पूर्ति, डॉ रामचंद्र उरांव और बिटिया मुर्मू ने भाग लिया। डॉ शालिनी ने आदिवासी प्रथागत कानून के भीतर भूमि के उत्तराधिकार पर बहस पर कानूनी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

PRESS : HINDUSTAN

एक्सआईएसएस में झारखंड में जेंडर, स्वदेशी और भूमि अधिकारों की वस्तुस्थिति पर पैनल चर्चा का आयोजन

आदिवासियों के जीवन में भूमि महत्वपूर्ण : फादर माइकल वैन

पंच संवाददाता

रांची। जेवियर समाज सेवा संस्थान (एक्सआईएसएस), रांची और इंडियन एसोसिएशन फॉर विमेन स्टडीज (आईएडब्ल्यूएस) ने महिला अध्ययन केंद्र, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, रांची विश्वविद्यालय के सहयोग से गुरुवार को अपने परिसर में फादर माइकल वैन डेन बोगार्ट एसजे ऑडिटोरियम में झारखंड में जेंडर, स्वदेशी और भूमि अधिकारों की वस्तुस्थिति पर पैनल चर्चा का आयोजन किया। कार्यक्रम में आदिवासियों के भूमि के साथ घनिष्ट संबंध, जो उनके रोजमर्रा के भौतिक अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण आधार ही नहीं, बल्कि उनके आध्यात्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक जीवन में भी भूमि महत्वपूर्ण है, इसपर चर्चा की गयी। यह उनके पूर्वजों के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी और आदिवासी पहचान और समुदायवाद का एक प्रमुख तत्व है। भूमि अलगाव, भूमि पर सामुदायिक अधिकारों का क्षरण, परिणामस्वरूप विस्थापन, प्रवास और गरीबी जैसे प्रासंगिक मुद्दे और उन्होंने आदिवासी महिलाओं के जीवन को महत्वपूर्ण तरीकों से कैसे प्रभावित किया है, वे विषय थे जिन पर पैनलिस्टों ने सत्रों के दौरान जोर दिया। चर्चा के दौरान 1908 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटीए), 1949 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (एसपीटीए), एलएआरआर 2013 और पंचायत विस्तार अनुसूची अधिनियम (पेसा) 1996 पर भी विस्तार से चर्चा की

गई। आदिवासियों की वर्तमान दयनीय स्थिति के पीछे बेदखली और पलायन के साथ-साथ नव-उदारवादी पूंजीपतियों का आदिवासी जीवन में प्रवेश, भूमि अधिग्रहण, अवैध खनन गतिविधियों और घटते वन क्षेत्र हैं, और इसपर विचार की अविलम्ब आवश्यकता है। आदिवासी महिलाओं के भूमि अधिकारों के न्यायोचित निर्धारण के लिए मौजूद कानूनी ढाँचों पर विशेष मामलों के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि आदिवासी महिलाओं के अधिकारों की जमीनी समझ विकसित करने के लिए समुदाय, सामुदायिक स्वामित्व और आम सहमति के बारे में आदिवासी समझ बहुत जरूरी है। हालांकि, ऐसी अवधारणाओं को ऐसे ही नहीं समझा जा सकता। यह समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि ऐसी व्यवस्थाएँ बड़ी प्रक्रियाओं से प्रभावित हुई हैं और ये व्यवस्थाएँ, संस्थाएँ बदलती रही हैं और इन बदलावों ने आदिवासी महिलाओं के अधिकारों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। इस प्रकार, महिलाओं के अधिकारों को लागू करने के लिए एक क्षेत्र के रूप में कानूनी व्यवस्था के महत्व पर प्रकाश डाला गया। पैनल चर्चा का नेतृत्व डॉ वंदना टेटे, डॉ शालिनी साबू, रोशन होरो, डॉ सुनीता पूर्ति, डॉ रामचंद्र उरांव और बिटिया मुर्मू ने किया। डॉ शालिनी साबू ने आदिवासी प्रथागत कानून के भीतर भूमि के उत्तराधिकार पर बहस पर कानूनी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, दूसरी ओर डॉ वंदना टेटे ने आदिवासी विश्व दृष्टिकोण के भीतर भूमि को एक 'पहचान' और सामूहिक संपत्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण को सामने रखा।

PRESS : PUNCH

BREAKING NEWS LATEST NEWS कैंपस झारखण्ड

झारखंड में जेंडर, स्वदेशी और भूमि अधिकारों की वस्तुस्थिति पर पैनल चर्चा

June 20, 2024 Lens Eye News Comment(0)

राची, झारखण्ड | जून | 20, 2024 ::

जेवियर समाज सेवा संस्थान (एक्सआईएसएस), रांची और इंडियन एसोसिएशन फॉर विमेन स्टडीज (आईएडब्ल्यूएस) ने महिला अध्ययन केंद्र, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, रांची विश्वविद्यालय के सहयोग से गुरुवार को अपने परिसर में फादर माइकल वैन डेन बोगार्ट एसजे ऑडिटोरियम में 'झारखंड में जेंडर, स्वदेशी और भूमि अधिकारों की वस्तुस्थिति' पर पैनल चर्चा का आयोजन किया।

कार्यक्रम में आदिवासियों के भूमि के साथ घनिष्ठ संबंध, जो उनके रोजमर्रा के भौतिक अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण आधार ही नहीं, बल्कि उनके आध्यात्मिक, नैतिक और सांस्कृतिक जीवन में भी भूमि महत्वपूर्ण है, इसपर चर्चा की गयी। यह उनके पूर्वजों के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी और आदिवासी पहचान और समुदायवाद का एक प्रमुख तत्व है। भूमि अलगाव, भूमि पर सामुदायिक अधिकारों का क्षरण, परिणामस्वरूप विस्थापन, प्रवास और गरीबी जैसे प्रासंगिक मुद्दे और उन्होंने आदिवासी महिलाओं के जीवन को महत्वपूर्ण तरीकों से कैसे प्रभावित किया है, ये विषय थे जिन पर पैनलिस्टों ने सत्रों के दौरान जोर दिया।

चर्चा के दौरान 1908 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटीए), 1949 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (एसपीटीए), एलएआरआर 2013 और पंचायत विस्तार अनुसूची अधिनियम (पेसा) 1996 पर भी विस्तार से चर्चा की गई। आदिवासियों की वर्तमान दयनीय स्थिति के पीछे बेदखली और पलायन के साथ-साथ नव-उदारवादी पूंजीपतियों का आदिवासी जीवन में प्रवेश, भूमि अधिग्रहण, अवैध खनन गतिविधियों और घटते वन क्षेत्र हैं, और इसपर विचार की अविलम्ब आवश्यकता है।

आदिवासी महिलाओं के भूमि अधिकारों के न्यायोचित निर्धारण के लिए मौजूद कानूनी ढाँचों पर विशेष मामलों के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया गया कि आदिवासी महिलाओं के अधिकारों की जमीनी समझ विकसित करने के लिए समुदाय, सामुदायिक स्वामित्व और आम सहमति के बारे में आदिवासी समझ बहुत ज़रूरी है। हालाँकि, ऐसी अवधारणाओं को ऐसे ही नहीं समझा जा सकता। यह समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि ऐसी व्यवस्थाएँ बड़ी प्रक्रियाओं से प्रभावित हुई हैं और ये व्यवस्थाएँ, संस्थाएँ बदलती रही हैं और इन बदलावों ने आदिवासी महिलाओं के अधिकारों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। इस प्रकार, महिलाओं के अधिकारों को लागू करने के लिए एक क्षेत्र के रूप में कानूनी व्यवस्था के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

पैनल चर्चा का नेतृत्व डॉ वंदना टेटे, डॉ शालिनी साबू, रोशन होरो, डॉ सुनीता पूर्ति, डॉ रामचंद्र उरांव और बिटिया मुर्मू ने किया। डॉ शालिनी साबू ने आदिवासी प्रथागत कानून के भीतर भूमि के उत्तराधिकार पर बहस पर कानूनी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, दूसरी ओर डॉ वंदना टेटे ने आदिवासी विश्व दृष्टिकोण के भीतर भूमि को एक 'पहचान' और सामूहिक संपत्ति के रूप में देखने के दृष्टिकोण को सामने रखा। दूसरी ओर डॉ पूर्ति ने यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि कैसे वैश्वीकृत नवउदारवादी युग में भूमि के वस्तुकरण के परिणामस्वरूप आदिवासी महिलाओं द्वारा भूमि को एक पूंजी के रूप में देखा गया है जो उन्हें अपने भविष्य को बेहतर ढंग से संभालने में मदद कर सकती है क्योंकि आज आदिवासी पूंजी संचालित अर्थव्यवस्था के भीतर जीवित रहने की चुनौतियों से निपटते हैं। अंत में डॉ रामचंद्र उरांव ने आदिवासी महिलाओं द्वारा भूमि उत्तराधिकार पर बहस पर कानूनी कार्यान्वयन की चुनौतियों का पता लगाया और कानून बनाने से पहले कानूनी ढांचे के भीतर एक आदिवासी दृष्टिकोण विकसित करने का अपना समाधान प्रस्तुत किया। दूसरे पैनल ने आज के संदर्भ में भूमि की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के इर्द-गिर्द चर्चा शुरू की और इसमें बिटिया मुर्मू, एलिना होरो, नयन कुमार सोरेन और आलोक कुजूर ने भाग लिया।

दूसरे पैनल चर्चा में प्रोफेसर रमेश शरण, डॉ मीनाक्षी मुंडा, एलिना होरो, नयन कुमार सोरेन और आलोक कुजूर ने भाग लिया। इस पैनल चर्चा के संयोजक झारखंड महिला अध्ययन परियोजना, आईएडब्ल्यूएस की प्रभारी प्रोफेसर डॉ रंजना श्रीवास्तव और रांची विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के महिला अध्ययन केंद्र की प्रभारी डॉ ज्योति प्रकाश थे। समन्वयकों में आईएडब्ल्यूएस की झारखंड समिति की संयोजक अमिता कुमारी, महिला अध्ययन केंद्र की समन्वयक डॉ ममता कुमारी, आईएडब्ल्यूएस में शोध अनुदान प्राप्त अरुणोपोल सील, वेस्टमिंस्टर विश्वविद्यालय, यू.के. के डॉक्टरल फेलो और एक्सआईएसएस में रूरल मैनेजमेंट कार्यक्रम के सहायक प्रोफेसर डॉ प्रमिल के. पांडा शामिल थे।

PRESS : NEWS ROOM